न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 146 / 2016

1 हनुमान पुत्र मोठूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी जतड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 अर्जुनलाल पुत्र मोठूराम।
2 रामेश्वर पुत्र मोठूराम।
3 त्रिलोकचन्द पुत्र मोठूराम।
4 श्रीमती केशरी देवी पत्नी मालीराम।
4/1 हरफूल पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
4/2 भागीरथ पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
4/3 बंशी पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
4/4 अमरसिंह पुत्र केशरी देवी पत्नी कामीराम।
4/5 राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम समस्त जाति जाट निवासीगढ़ ढ़ाणी जस्तड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4/6 प्रभाती पुत्री (केशरी देवी पत्नी मालीराम) पत्नी हरिसिंह ।
4/7 मेवा पुत्री (केशरी देवी पत्नी मालीराम) पत्नी परसराम समस्त जाति निवासी हाल आबाद ढ़ाणी जोधावाली तन ग्राम जयरामपुरा वाया श्रीमाधोपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 मालीराम पुत्र भूराराम।
6 नृसिंह प्रसाद पुत्र मांगूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जतड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 भूदाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी जानकीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 नारायणलाल पुत्र मुरलीधर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

9 बालमुकन्द पुत्र मुरलीधर।
10 बनवारी पुत्र मुरलीधर।
11 मोहनलाल पुत्र मुरलीधर।
12 रघुनाथ प्रसाद पुत्र मुरलीधर।
13 पुरूषोतम पुत्र मुरलीधर।
14 ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर।
15 शंकरलाल पुत्र मुरलीधर समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जतड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
16 भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2011
अदालत उपखण्ड श्रीमाधोपुर बउनवानी दावा
मोठूराम (अर्जुनलाल आदि) बनाम नृसिंह प्रसाद
दावा संख्या 156 / 1992

अपील संख्या 147 / 2016

1 हनुमान पुत्र मोठूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी जतड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नृसिंहलाल पुत्र मांगुराम
2 त्रिलोकचन्द पुत्र मोठूराम।
3 अर्जुनलाल पुत्र मोठूराम।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 रामेश्वर पुत्र मोटूराम।
5 श्रीमती केशरी देवी पत्नी मालीराम।
5/1 हरफूल पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
5/2 भागीरथ पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
5/3 बंशी पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम।
5/4 अमरसिंह पुत्र केशरी देवी पत्नी कामीराम।
5/5 राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र केशरी देवी पत्नी मालीराम समस्त जाति जाट निवासीगढ़ ढ़ाणी जस्तड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5/6 प्रभाती पुत्री (केशरी देवी पत्नी मालीराम) पत्नी हरिसिंह ।
5/7 मेवा पुत्री (केशरी देवी पत्नी मालीराम) पत्नी परसराम समस्त जाति निवासी हाल आबाद ढ़ाणी जोधावाली तन ग्राम जयरामपुरा वाया श्रीमाधोपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 मालीराम पुत्र भूराराम।
7 नारायणलाल पुत्र मुरलीधर।
8 बालमुकन्द पुत्र मुरलीधर।
9 बनवारी पुत्र मुरलीधर।
10 मोहनलाल पुत्र मुरलीधर।
11 रघुनाथ प्रसाद पुत्र मुरलीधर।
12 पुरूषोतम पुत्र मुरलीधर।
13 ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर।
14 शंकरलाल पुत्र मुरलीधर समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जतड़ी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 भूदाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी जानकीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
16 भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2011
अदालत उपखण्ड श्रीमाधोपुर बउनवानी दावा
मोठूराम मृत (त्रिलोकचन्द आदि) बनाम नृसिंह प्रसाद
दावा संख्या 156/1992 अपील अन्तर्गत धारा 223
आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामचन्द्र बगड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.02.2020

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 156/1992 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 एवं 19.12. 2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी मोठुराम व श्रीमती केशरी देवी द्वारा दावा इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1035,1036,1045,1046, 1047,1048,1049,1050,1051 तन ग्राम श्रीमाधोपुर बाबत प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 21.10.2011 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित किये है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 146/2011 हणमान पुत्र मोठुराम की और से प्रस्तुत की गई है। इसके उपरान्त दिनांक 19.12.2011 को पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये गये इससे व्यथित होकर हनुमान पुत्र मोठुराम द्वारा अपील संख्या 147/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई किये बिना आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिकी दिनांक 21.10.2011 एवं 19.12. 2011 पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2011 एवं 19.12.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने में दिनांक 17.01. 2012 को अन्तिम डिक्री पारित की है। इस अन्तिम डिक्री की अपील इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील संख्या 45/2013 प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 31.08.2016 द्वारा खारिज की जा चुकी है चूंकि इस न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री की अपील दिनांक 31.08.2016 को खारिज की जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री की यह दोनों अपीले स्वतः खारिज योग्य है। दोनों अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2011 एवं 19.12.2011 को प्राथमिक डिकी जारी की गई है। इसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने में दिनांक 17.01.2012 को अन्तिम डिक्री पारित की है। इस अन्तिम डिक्री की अपील इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील संख्या 45/2013 प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 31.08.2016

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा खारिज की जा चुकी है चूकि इस न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री की अपील दिनांक 31.08.2016 को खारिज की जा चुकी है। इन तथ्यों की पुष्टि अपीलांट के अपील मेमों में किये गये कथनों से होती है। अत अन्यथा विवेचन की आवश्यकता ही नही है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री की यह दोनों अपीले स्वतः खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर